न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4448—दो/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 26—10—2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 511/अपील/2008—09.

1— हरीशंकर आत्मज गणेशराम
2— हल्के भईया आत्मज गणेशराम
निवासीगण ग्राम अलीगंज
तहसील बरेली जिला रायसेन ....आवेदकगण

विरूद्ध

1— मध्यप्रदेश शासन
2— भगवान दास आत्मज रमेश कुमार
निवासी ग्राम अलीगंज
तहसील बरेली जिला रायसेन ....अनावेदकगण

....

श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री डी0डी0 मेघानी, अभिभाषक, अनावेदक क. 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/1/11 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 26—10—2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार, बरेली के समक्ष संहिता की धारा 114 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम अलीगंज स्थित भूमि सर्वे कमांक 30, 31, 35, 36 एवं 37 कुल किता 5 कुल रकबा 17.88 एकड़ राजस्व अभिलेखों में आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 2 भगवान दास के

नाम 50–50 पैसा अंकित चली आ रही है । इस प्रकार 8.80 एकड़ पर अनावेदक कमांक 2 भगवान दास एवं 9.08 एकड़ पर आवेदकगण कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं । अनावेदक *कमांक 2 भगवान दास द्वारा अपने हिस्से की भूमि सर्वे कमांक 37 में से 7.15 एकड़ भूमि* शरद कुमार एवं सर्वे कमांक 37 में से 1.65 एकड़ भूमि संदीप कुमार को पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 20–5–2001 से विकय कर दी गई है और उनका नामांतरण भी हो चुका है । इस प्रकार अनावेदक कमांक 2 भगवान दास के हिस्से की कोई भूमि शेष नहीं बची है, परन्तु त्रुटिवश खसरे में उसका नाम दर्ज चला आ रहा है । अतः प्रविष्टि संशोधित कर अनावेदक कमांक 2 भगवान दास का नाम विलोपित किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ–6–अ/2006–07 दर्ज कर दिनांक 12–1–2009 को आदेश पारित किया जाकर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बरेली जिला रायसेन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25–6–2009 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26–10–2012 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 2 भगवान दास अपने हिस्से की भूमि 8.80 एकड़ का विकय कर चुका है, इसके बाजवूद भी राजस्व अभिलेखों में उसका 1/2 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है, उक्त प्रविष्टि को संशोधन करने का आवेदन पत्र आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसे निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है और तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमियों में आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 2 भगवान दास का 50–50 प्रतिशत हिस्सा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है और अनावेदक कमांक 2 भगवान दास द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विकय किया जा चुका है । तर्क में यह भी कहा गया कि यदि यह मान भी लिया जाये कि अनावेदक कमांक 2 भगवान दास ने

बाबूलाल से भूमि कय की है, तब भी उसका 51 प्रतिशत हिस्सा है, क्योंकि बाबूलाल केवल 51 प्रतिशत के हिस्सेदार थे, किन्हीं भी परिस्थितियों में 67 प्रतिशत हिस्सा अनावेदक कमांक 2 भगवान दास का नहीं हो सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 113 के अंतर्गत लिपिकीय त्रुटि को सुधारा जा सकता है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार को खसरे में हुई त्रुटि को संशोधित करना चाहिए था । यह भी कहा गया कि खसरे में 50–50 प्रतिशत हिस्सा दर्ज है और संहिता के प्रावधानों के अनुरूप खसरे में हुई प्रविष्टि तब तक सही मानी जावेगी, जब तक कि उसे आक्षेपित नहीं किया गया हो ।

4/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण की ओर से तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 114 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि आवेदकगण का आवेदन पत्र संहिता की धारा 114 की परिधि में नहीं आता है । इसके बावजूद भी तहसील न्यायालय द्वारा सदाशयता का परिचय देते हुए आवेदन पत्र संहिता की धारा 116 में मान्य कर पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए इस निष्कर्ष के साथ कि प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न निहित होने से उन्हें अधिकारिता नहीं है, आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसकी पुष्टि दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा की गई है । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश यथावत रखे जाने चाहिए ।

(2) संहिता की धारा 116 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए 1 वर्ष की समय–सीमा निर्धारित है, जबकि 1966–67 लगायत 2002–02 तक के राजस्व अभिलेखों में आवेदकगण का 33 पैसा एवं अनावेदक कमांक 2 का 67 पैसा प्रश्नाधीन भूमियों पर दर्ज है, ऐसी स्थिति में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के विचारण का क्षेत्राधिकार तहसील न्यायालय को नहीं होने से आवेदन पत्र निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । संहिता की धारा 114 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को संहिता की धारा 115 के अंतर्गत स्वप्रेरणा से राजस्व अभिलेखों को संशोधित करने की अधिकारिता तहसीलदार को प्राप्त नहीं है ।

(3) संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत पुरानी प्रविष्टि को संशोधित किया जा सकता है, नयी प्रविष्टि का सृजन नहीं किया जा सकता है, इसलिए तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र निरसत करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(4) आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क अनुचित है कि संहिता की धारा 113 के अंतर्गत लिपिकीय त्रुटि मानते हुए आवेदन पत्र का निराकरण करना चाहिए था, क्योंकि संहिता की धारा 113 के अंतर्गत लिपिकीय त्रुटि सुधार करने का अधिकार तहसीलदार को प्राप्त नहीं होकर अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त है और अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण द्वारा कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(5) यह सही है कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा 8.80 एकड़ भूमि का विकय किया गया है। चूंकि प्रश्नाधीन भूमियों पर उसका 67 प्रतिशत हिस्सा था और भूमि विकय करने के पश्चात 50 प्रतिशत हिस्सा उसका रह जाता है, इसलिए खसरे में की गई प्रविष्टियां सही है।

प्रत्युत्तर में आवेदकगण के विद्वान अभिभषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिस समय अनावेदक कमांक 2 द्वारा भूमि का विकय किया गया है, उस समय उसका हिस्सा 67 प्रतिशत नहीं होकर 50 प्रतिशत पंजी में दर्ज था और उस पंजी को अनावेदक कमांक 2 द्वारा चुनौती नहीं दिये जाने से वह अंतिम हो गया है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 114 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अनावेदक कमांक 2 भगवान दास द्वारा अपने हिस्से की भूमि विकय की जा चुकी है, परन्तु त्रुटिवश राजस्व अभिलेखों में संयुक्त रूप से आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 2 का नाम दर्ज है, अतः अनावेदक कमांक 2 का नाम विलोपित किया जाये । इस संबंध में तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित है कि प्रश्नाधीन भूमि पर राजस्व अभिलेखों में संयुक्त रूप से आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 2 का नाम दर्ज है, अतः प्रकरण में स्वत्व का गंभीर प्रश्न निहित है कि क्या वास्तव में प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 2 भगवान दास का स्वत्व शेष है अथवा नहीं, जिसका निराकरण करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । अतः तहसील

न्यायालय द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी उक्त आशय का निष्कर्ष निकालते हुए कि प्रकरण में स्वत्व संबंधी विवाद है और जब तक स्वत्व का निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक किसी भी पक्षकार का नाम काटा जाना न्यायोचित नहीं है, तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अपर आयुक्त द्वारा भी इसी आशय का निष्कर्ष निकालते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इसके अतिरिक्त यहां यह भी विचारणीय प्रश्न है कि पूर्व में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 2 का पचास–पचास प्रतिशत हिस्सा राजस्व अभिलेखों में दिनांक 20–9–97 को नामांतरण पंजी कमांक 21 पर दर्ज किया गया है और उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वार दिनांक 28–8–2008 को अपील निरस्त की गई है । इस प्रकार प्रश्नाधीन भूमि पर पचास–पचास प्रतिशत हिस्सा दर्ज करने संबंधी प्रविष्टि अंतिम हो गई है । आवेदकगण का यह दायित्व था कि जब–जब अनावेदक कमांक 2 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि में से भूमि का विकय किया गया था, तब वे उतनी भूमि राजस्व अभिलेखों में से अनावेदक कमांक 2 के हिस्से की भूमि कम कराने हेतु कार्यवाही करते, परन्तु उनके द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है, इस प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष निकाले हैं, जो पूर्णतः विधिसंगत है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में स्वत्व का गंभीर प्रश्न निहित हो गया है, जिसका निराकरण करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर